रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2017, शनिवार/श्रावण 29—भाद 4, 1939

No. 33] NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2017, SATURDAY/SRAVANA 29—BHADRA 4, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

**सा.का.नि. 254.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल, भंडारी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, जहां तक उनका संबंध भंडारी (स्तर-III) के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सशस्त्र सीमा बल, भंडारी (स्तर-III) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, भंडारी (स्तर-III) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)**

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

**सा.का.नि. 257.–**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (विदेश में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे) भर्ती नियम, 1995 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विदेशों में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विदेश में भारतीय मिशनों में वैज्ञानिक अताशे) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं अदि.–**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**-वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| वैज्ञानिक अताशे | 4* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 13 क (1,31,100-2,16,600 रु.) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)**:<br><br>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध सरकारी या कानूनी या देश या विदेश में स्वायत्त संगठन में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद ;<br>(क)<br>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ;<br>या<br>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13(1,18,500-2,14,100 रु.) या समतुल्य के पदों में नियमित सेवा दो वर्ष धारण कर रहे हो ;<br>या<br>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 ( 78,800-2,09,200 रु.) या समतुल्य के स्तर में नियमित छः वर्ष की सेवा की हो; और<br><br>(ख) नीचे दिए अनुसार अर्हताएं और अनुभव रखते हों:<br><br>**आवश्यक अर्हताएं और अनुभवः**<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी या आयुर्विज्ञान में मास्टर डिग्री;<br>(ii) औद्योगिक में अनुसंधान और विकास और औद्योगिक में विकास तथा प्रौद्योगिकी संगठनों या वैज्ञानिक क्रियाकलापों में बारह वर्ष का अनुभव जिनमें से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, योजना और सहयोग में प्रबंधकीय क्षमता छः वर्ष; और<br>(iii) स्नातक और उत्तरवर्ती स्तर पर विज्ञान विषयों से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्युटर विज्ञान के संघटकों में से कम से कम एक विषय होना चाहिए।<br>**वांछनीय अर्हताएं और अनुभव** :<br>(i) अंग्रेजी से इसके अतिरिक्त आधुनिक यूरोपीयन या जर्मन या रूसी या जापानी भाषा का ज्ञान;<br>(ii) प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में पश्च डॉक्टरेट अनुसंधान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या आर्युविज्ञान में | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | |
|---|---|---|
| डॉक्टरेट डिग्री या ऐसे विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रमाणन द्वारा साक्षियत के रूप में अनुसंधान संस्थान और विज्ञान उद्धरण अनुक्रमणित (वि.नु.अनु.) जर्नलो में अनुसंधान कार्य।<br>(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर विषयक क्षेत्र में व्यापक अनुभव जिसमें प्रतिलिप्याधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट और आविष्कार पर महत्व दिया गया है।<br><br>**टिप्पण**:-पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. क.12018/02/10-प्रशा.I(क)]

वी.एस. रावत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 16th August, 2017

**G.S.R. 257.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science & Technology (Scientific Attache in the Indian Missions Abroad) Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Attache in the Indian Missions abroad in the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely :—

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology (Scientific Attache in the Indian Missions Abroad) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix .**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**—No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection post or Non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Scientific Attache. | 4* (2017)<br>*Subject to variation depending on work load. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial. | Level 13A (₹ 1,31,100 - 2,16,600) | Not applicable. | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made | If departmental promotion committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| Deputation (including short-term contract). | **Deputation (including short-term contract):**<br><br>Scientists or Technologists working in Central Government or State Government or Universities or recognised research Institutions or semi-government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:<br><br>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;<br>or<br>(ii) with two years' regular service in posts in the level 13 in pay matrix (₹ 1,18,500 – 2,14,100) or equivalent in the parent cadre or department;<br>or<br>(iii) with six years' regular service in the level 12 in pay matrix (₹ 78,800 – 2,09,200) or equivalent in the parent cadre or department; and<br><br>(b) possessing the qualifications and experience as under:- | Not applicable | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Essential qualifications and experience:**<br>(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Sciences or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or equivalent;<br>(ii) twelve years' experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which six years in managerial capacity in science and technology programme, planning development and cooperation; and<br>(iii) should have at least one of the components of Natural Science, Mathematics, Information Technology and Computer Science from Science streams at Graduate and subsequent levels.<br>**Desirable qualifications and experience:**<br>(i) knowledge of a modern European or German or Russian or Japanese language in addition to English;<br>(ii) post-doctorate research in Natural or Agricultural Sciences or doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognized University or research Institute as evidenced by certification by such University or Institute and publication of research work in Science Citation Indexed (SCI) journals.<br>(iii) wide experience in inter-disciplinary areas of Science and Technology with an emphasis on copyrights, intellectual property rights, patents and inventions.<br>**Note.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisations or Departments of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications. | | |

[F. No. A.12018/02/10-A.I(A)]

B. S. RAWAT, Jt. Secy.